भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-101

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

राजस्थान में स्कूल छोड़ने की दर

†101 श्री राहुल कस्वां:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में स्कूली छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर की जानकारी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने राजस्थान में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की उच्च दर के कारणों को समझने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अध्ययन के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और
(ग) विशेषकर राजस्थान में लिंग, ग्रामीण-शहरी, शिक्षा स्तर के आधार पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की राज्यवार और जिलावार दर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, (डीओएसईएल) शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़+) विकसित की गई है। यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार, राजस्थान में प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों की ड्रॉपआउट दर नीचे दी गई है:

ड्रॉपआउट दर			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर**	उच्च-प्राथमिक **स्तर पर ड्रॉपआउट दर**	माध्यमिक स्तर पर **ड्रॉपआउट दर**
राजस्थान	7.1	6.8	9.4

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक का पूरा दायरा शामिल है। इस योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी अनुकूलित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और

समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या और स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या को कम करना है। इस योजना में सीनियर सेकेंडरी स्तर तक नए स्कूल खोलने और उन्हें मजबूत बनाने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, निशुल्क यूनिफार्म, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाने का प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश तथा आवासीय और गैर-आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए **विशेष प्रशिक्षण** के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा संरचना में लाने के लिए मौसम अनुरूप छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा का प्रावधान भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, योजना के **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों** के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों के लिए अपनाई गई **मिड-डे-मील** एक और पहल है। इसी तरह, **राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना** के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों (ओओएससी) के आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ मैप करने के लिए एक **ऑनलाइन मॉड्यूल** भी विकसित किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई व पहचान की गई ओओएससी और एसटीसी की बाल-वार जानकारी को मान्य करता है। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में अध्ययन करने वाले स्कूल से बाहर के बच्चों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा **ब्रिज कोर्स मॉड्यूल** विकसित किए गए हैं।

(ख): राजस्थान राज्य ने स्कूल से बाहर बच्चों के प्रवेशोत्सव अभियान (2024-25) के दौरान स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक घरेलू सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में स्कूल के कैचमेंट क्षेत्र के घरों को शामिल किया गया और पहचाने गए छात्रों को पास के स्कूलों में प्रवेश दिया गया।

स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों, जिनमें ड्रॉप-आउट भी शामिल हैं, के लिए पहचाने गए कुछ कारण - गरीबी, बच्चे का खराब स्वास्थ्य, बच्चे का स्कूल जाने के लिए बहुत छोटा होना और यह तथ्य कि माता-पिता को घरेलू कामों में बच्चे की मदद की ज़रूरत आदि हैं ।

(ग): जेंडर और शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकृत ड्रॉप-आउट दर का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक I में है।

राजस्थान राज्य में जेंडर और शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकृत ड्रॉप-आउट दर का जिलावार ब्यौरा अनुलग्नक II में है।

***

अनुलग्नक I

राजस्थान में स्कूल छोड़ने की दर के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राहुल कस्वां द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शिक्षा के स्तर और जेंडर के आधार पर ड्रॉपआउट दर का राज्यवार ब्यौरा, **2023-24**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ड्रॉपआउट दर								
		प्राथमिक (कक्षा II से कक्षा V)			उच्च प्राथमिक (कक्षा VI से कक्षा VIII)			माध्यमिक (कक्षा IX से XII)		
		छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.4	0.8	1.1	0.8	0.0	0.4	7.1	3.2	5.1
2.	आंध्र प्रदेश	1.3	1.0	1.2	1.3	0.8	1.1	11.7	8.6	10.1
3.	अरुणाचल प्रदेश	4.6	3.4	4.0	7.2	6.5	6.8	18.0	15.5	16.7
4.	असम	8.1	5.5	6.8	10.3	6.1	8.2	19.4	19.5	19.5
5.	बिहार	13.8	13.6	13.7	26.0	25.9	25.9	21.2	20.5	20.9
6.	चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.4	6.8	3.2	5.2
7.	छत्तीसगढ	2.6	1.9	2.3	6.2	4.3	5.3	18.3	11.0	14.5
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.8	1.5	1.6	3.2	3.0	3.1	19.5	13.4	16.5
9.	दिल्ली	0.5	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	12.3	8.3	10.4
10.	गोवा	0.7	1.3	1.0	1.2	1.0	1.1	10.0	5.4	7.8
11.	गुजरात	1.0	1.0	1.0	3.5	4.9	4.2	18.8	14.2	16.7
12.	हरियाणा	3.3	2.3	2.8	5.4	3.7	4.7	13.3	9.1	11.4
13.	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.6	5.5	3.6	4.6
14.	जम्मू और कश्मीर	2.0	1.4	1.7	3.2	3.3	3.2	17.3	14.7	16.1
15.	झारखंड	5.3	4.6	4.9	9.4	8.6	9.0	10.3	10.3	10.3
16.	कर्नाटक	2.2	1.7	2.0	2.9	2.4	2.7	21.4	16.0	18.7
17.	केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.4	2.2
18.	लद्दाख	3.7	2.2	3.0	7.3	4.3	5.8	22.5	18.0	20.1
19.	लक्षद्वीप	5.1	1.8	3.5	6.3	0.0	3.1	2.1	1.0	1.6
20.	मध्य प्रदेश	2.8	2.3	2.6	7.0	6.5	6.7	17.2	13.0	15.2
21.	महाराष्ट्र	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.6	8.5	6.7	7.7
22.	मणिपुर	4.2	3.9	4.0	3.9	3.0	3.5	12.9	12.0	12.4
23.	मेघालय	10.5	8.8	9.7	13.9	11.1	12.4	18.8	16.5	17.5
24.	मिजोरम	3.1	2.7	2.9	6.7	4.9	5.9	12.4	11.0	11.7
25.	नागालैंड	4.7	3.9	4.3	6.4	5.2	5.8	11.2	9.4	10.3
26.	ओडिशा	0.6	0.3	0.5	2.2	1.7	2.0	10.2	8.0	9.1
27.	पुदुचेरी	1.6	1.1	1.4	1.5	1.2	1.4	8.0	3.7	5.9
28.	पंजाब	1.1	1.0	1.1	3.0	2.2	2.6	6.3	4.0	5.2
29.	राजस्थान	7.5	6.6	7.1	7.1	6.4	6.8	10.6	8.0	9.4
30.	सिक्किम	4.2	2.2	3.3	5.9	4.0	4.9	16.0	12.8	14.3
31.	तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.9	5.4
32.	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	9.6	6.3	8.0
33.	त्रिपुरा	2.2	1.5	1.8	4.5	3.6	4.1	9.1	8.6	8.9
34.	उत्तर प्रदेश	5.4	5.4	5.4	3.1	4.8	3.9	6.9	4.8	5.9
35.	उत्तराखंड	1.1	0.6	0.8	2.6	1.9	2.3	7.1	4.1	5.6
36.	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	8.4	12.0

स्रोत:यूडाइज़+ *2023-24*

नोट:. यूडाइज़ + के अनुसार, ड्रॉपआउट दर को एक समूह (कक्षा *II* से *V, VI* से *VIII* और *IX* से *XII)* के विद्यार्थियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी निश्चित स्कूल वर्ष में किसी निश्चित स्तर पर नामांकित होते हैं और जो आगामी स्कूल वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं होते हैं।

अनुलग्नक II

'राजस्थान में स्कूल छोड़ने की दर' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राहुल कस्वां द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शिक्षा के स्तर और जेंडर के अनुसार ड्रॉपआउट दर का जिलावार ब्यौरा, **2023-24**

क्र. सं.	जिला	प्राथमिक ड्रॉप-आउट दर			उच्च प्राथमिक ड्रॉप-आउट दर			माध्यमिक ड्रॉप-आउट दर		
		छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल
1	अजमेर	2.95	3.04	2.99	6.09	7.14	6.59	21.32	16.10	18.93
2	अलवर	3.20	2.87	3.05	5.08	5.88	5.45	11.30	10.28	10.84
3	बांसवाड़ा	1.72	1.97	1.84	6.89	6.24	6.58	12.51	11.34	11.95
4	बारां	8.22	8.26	8.24	6.36	6.14	6.25	17.35	14.88	16.21
5	बाड़मेर	2.54	2.13	2.35	7.97	7.85	7.91	17.22	15.64	16.54
6	भरतपुर	5.00	4.89	4.95	6.40	6.10	6.27	12.28	12.87	12.54
7	भीलवाड़ा	2.97	2.84	2.91	7.68	6.24	6.99	23.92	16.22	20.31
8	बीकानेर	3.53	2.53	3.06	4.52	4.23	4.39	13.11	11.37	12.32
9	बूंदी	5.24	4.74	5.00	5.85	6.13	5.98	15.66	14.70	15.22
10	चितौड़गढ़	2.04	2.48	2.25	8.89	9.19	9.03	24.93	18.44	21.89
11	चुरू	4.45	3.51	4.00	4.09	4.41	4.24	11.51	10.41	11.01
12	दौसा	9.29	7.98	8.68	3.70	3.86	3.78	5.45	6.73	6.05
13	धौलपुर	7.31	6.47	6.92	10.29	8.39	9.41	16.38	20.35	18.19
14	डूंगरपुर	2.44	2.25	2.35	8.03	6.03	7.07	16.60	12.68	14.68
15	गंगानगर	4.05	3.35	3.71	6.72	5.28	6.05	14.85	10.22	12.69
16	हनुमानगढ़	7.39	6.60	7.02	5.40	4.73	5.08	12.99	9.17	11.22
17	जयपुर	6.15	5.78	5.98	1.80	2.60	2.17	4.79	4.66	4.73
18	जैसलमेर	5.53	4.63	5.12	10.18	10.87	10.47	22.74	19.45	21.48
19	जालोर	1.30	0.21	0.78	8.22	9.27	8.70	20.53	19.30	20.00
20	झालावाड़	3.29	2.29	2.82	4.57	6.37	5.43	11.89	16.40	13.98
21	झुंझुनूं	6.85	7.69	7.24	2.92	3.97	3.40	9.66	7.49	8.70
22	जोधपुर	4.47	4.02	4.26	5.65	5.47	5.57	12.01	11.16	11.63
23	करौली	6.24	6.51	6.37	6.83	8.45	7.60	14.57	17.88	16.08
24	कोटा	0.86	1.59	1.21	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागौर	5.51	4.46	5.01	4.83	5.03	4.93	9.26	8.53	8.92
26	पाली	2.09	1.14	1.64	7.23	8.13	7.65	19.59	17.41	18.60
27	प्रतापगढ़ (राज.)	3.93	3.98	3.95	6.94	5.61	6.30	19.25	14.74	17.07
28	राजसमंद	3.06	2.22	2.66	8.05	7.98	8.02	23.54	16.08	20.05

क्र. सं.	जिला	प्राथमिक ड्रॉप-आउट दर			उच्च प्राथमिक ड्रॉप-आउट दर			माध्यमिक ड्रॉप-आउट दर		
		छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल	छात्र	छात्राएँ	कुल
29	सवाई माधोपुर	9.27	8.05	8.69	4.52	7.15	5.77	11.91	16.42	13.96
30	सीकर	7.41	7.39	7.40	0.60	4.14	2.23	-9.25	1.98	-4.21
31	सिरोही	1.57	2.94	2.22	7.66	8.97	8.26	20.15	21.36	20.66
32	टोंक	7.54	6.38	6.99	4.51	4.83	4.66	12.97	10.15	11.66
33	उदयपुर	0.00	0.00	0.00	8.18	6.37	7.33	17.56	12.83	15.31

नोट: यूडाइज़+ के अनुसार, ड्रॉपआउट दर को एक समूह (कक्षा *II* से *V*, *VI* से *VIII* और *IX* से *XII*) के विद्यार्थियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी दिए गए स्कूल वर्ष में किसी दिए गए स्तर पर नामांकित होते हैं, तथा जो आगामी स्कूल वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं होते हैं।